कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, वाराणसी।

पत्र संख्याः एसटी/एफएस/आई–3 (स्कूल/सीबी)/2021 दिनांकः जुलाई, 15 2022

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य
वाराणसी पब्लिक स्कूल, केराकतपुर
थाना–लोहता, वाराणसी।

विषयः **विद्यालय भवन वाराणसी पब्लिक स्कूल, केराकतपुर, थाना लोहता, जनपद–वाराणसी भवन में अधिष्ठापित जीव रक्षा प्रणाली एवं अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।**

सन्दर्भः आपका पत्रांक दिनांक 30.06.2022

कृपया अपने उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो विद्यालय भवन **वाराणसी पब्लिक स्कूल, केराकतपुर, लोहता, वाराणसी** में अधिष्ठापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त सम्बन्ध में विद्यालय भवन वाराणसी पब्लिक स्कूल, केराकतपुर, थाना–लोहता, वाराणसी का फायर सर्विस टीम के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया, विवरण विम्नवत् हैः–

A. **भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणीः**– भवन का अधिभोग शैक्षणिक भवन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। विद्यालय भवन ग्रुप बी–1 के श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत है।

1. विद्यालय भवन प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार भूतल+03 अन्य तल तक निर्मित है, जिसका कुल प्लाट एरिया–8104.0 वर्गमीटर, ग्राउण्ड तल कवर्ड एरिया–485.0 वर्गमीटर है, विद्यालय भवन में तीन स्टेयर केस जिसकी चौड़ाई–1.5 मीटर एवं भवन की ऊंचाई 14.0 मीटर है। विद्यालय भवन के टैरेस पर टैरेस टैंक व अैरेस पम्प, प्रत्येक तल पर होजरील तथा प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) 36 अदद उपलब्ध है।
2. **पहुँच मार्गः**– उक्त विद्यालय भवन 7.5 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है।
3. **प्रवेश द्वार की चौड़ाईः**– उक्त भवन में प्रवेश हेतु 5.5 मीटर चौड़ाई का प्रवेश द्वार बनाया गया है।
4. **होजरील**– प्रश्नगत् विद्यालय भवन के प्रत्येक तल पर एन0बी0सी0 मानक के अनुसार होजरील प्रणाली की व्यवस्था किया गया है।
5. **टैरेस टैंकः**– प्रश्नगत् विद्यालय भवन के टैरेस पर टैरेस टैंक स्थापित किया गया है।
6. **टैरेस पम्पः**– प्रश्नगत् विद्यालय भवन के टैरेस टैंक के पास टैरेस पम्प अधिस्थापित किया गया है।
7. **अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)ः**– उक्त भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) 36 अदद संतोषजनक स्थिति में उपलब्ध है, जिसका निरीक्षण/परीक्षण शुल्क चालान के माध्यम से एक सप्ताह के अन्दर राजकीय कोष में जमाकर कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
8. **पब्लिक अनाउन्समेन्ट** सिस्टम की व्यवस्था स्कूल भवन में किया गया है।

B. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या – 483/2009 में पारित आदेश दिनांकः 13.04.2009 का पालन अनिवार्य होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित है किः–**

1. किसी भी स्कूल को मान्यता देने से यह सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्रविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप है।

CFO VNS

Principal
Varanasi Public School
Kerakatpur, Lohta-Varanasi
AFF. No.-2130678
School No.-71322

Manager
Divya Pandey
Varanasi Public School

——2 पर

2. समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों में एक माह में अग्निशमन यंत्र स्थापित किये जाय।
3. विद्यालय भवन में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखे जाए और यदि उन्हें रखना अतिआवश्यक हो तो उन्हें सुरक्षित ढंग से रखने का उपाय किया जाय।
4. समय–समय पर विद्यालय भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की जाए। संबंधित अधिकारी एवं अभियंता एवं संबंध में नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप सुरक्षा प्रमाण पत्र केवल समुचित जाँच के उपरान्त ही प्रदान करेंगे। नियमों के विरूद्ध यदि प्रमाण पत्र जारी किये जाते हैं तो इस संबंध में दोषी पाए गए कर्मियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

C. उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित बिन्दुओं का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

1. विद्यालय के स्टाफ तथा शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया जाय।
2. शिक्षा (6) अनुभाग के शासनादेश संख्या 1528/9–6–2008 दिनांक 20 जुलाई, 2009 का पालन अनिवार्य होगा।
3. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 1765/छः–पु0–8–2017–905 (34) 2016 गृह (पुलिस) अनुभाग–8 लखनऊ दिनांक–16 फरवरी 2018 के अनुसार कार्यवाही वांछनीय होगा।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया 2016 के मानकों का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाय।
5. उपरोक्त शर्तों का विचलन होने पर यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वामी/प्रबन्धक/प्रधानाचार्य की होगी।
6. अग्निशमन सुरक्षा प्रणाली को ठीक कराये जाने तथा उक्त आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने तक भवन का प्रयोग स्वयं की जिम्मेदारी पर किया जायेगा।
7. विद्यालय भवन के ढांचागत् व्यवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जायेगा अगर परिवर्तन किया जाना अपरिहार्य हो तो उसकी सूचना अग्निशमन विभाग को देना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार वाराणसी पब्लिक स्कूल, केराकतपुर, थाना लोहता, वाराणसी विद्यालय भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने तथा प्रत्येक वर्ष स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमा कर प्राप्त पत्र का नवीनीकरण कराये जाने की शर्त पर अग्निशमन व्यवस्था का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है जो निर्गत तिथि से **तीन वर्ष** तक के लिए वैध होगा।

उपरोक्त दिये गये शर्तों का पालन न किये जाने तथा सुरक्षा व्यवस्था के अकार्यशील दशा में पाए जाने पर निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

15 JUL 2022

मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
(अनिमेश सिंह)
वाराणसी
मुख्य अग्निशमनअधिकारी
वाराणसी।

प्रतिलिपिः–अग्निशमन अधिकारी, भेलूपुर, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

Principal
Varanasi Public School
Kerakatpur. Lohta-Varanasi
AFF. No.-2130678
School No.-71322

Manager
Divya Pandey
Varanasi Public School